दैनिक
यशोभूमि
मुंबई, बुधवार, ११ अप्रैल २०१२

राजनैतिक भ्रष्टाचार

पिछले २० सालों में हमने देखा है कि सिर्फ सत्ता की प्राप्ति के लिए ही सिद्धांत विहीन पक्ष मिल जुलकर त्रिशंकु संसद व अस्थायी सरकारें बनाते रहे हैं। इस दौरान ७ लोकसभा चुनाव, ३ मध्यवर्ती चुनाव व विभिन्न पक्षों के मेलजोल से १० प्रधानमंत्री बने, जबकि भ्रष्टाचार हमेशा चिंता का विषय रहा है। मंत्री स्तर का भ्रष्टाचार सभी सीमाएं लांघकर अब आकाश छू रहा है। मिलेजुले पक्षों के समीकरण द्वारा सरकार को समर्थन देने के नाम पर ऐसे राजनैतिक पक्ष वास्तविक रूप में देश को लूटने चले आये हैं। इस बात की सत्यता २ जी स्पेक्ट्रम घोटाला दर्शाता है। इस घोटाले ने संपूर्ण देश की संस्कृति को दूषित करने के साथ ही साथ पूरे शासन के नैतिक बल पर विपरीत असर किया है।

संस्कृत की प्रसिद्ध कहावत है- ''यथा राजा तथा प्रजा'' (जैसा राजा वैसी प्रजा) भ्रष्टाचार जब ऊपरी सतह से छनकर टपकता है। तब उसका असर समाज के ऊपर से निचले हर स्तर को हर प्रकार से दूषित कर देता है।

कोई भी राजकीय पद्धति फिर चाहे वो संसदीय या प्रमुखीय लोकतंत्र हो या अधिनायकत्व या साम्यवाद हो, ऐसा नहीं है कि जिसमें भ्रष्टाचार या सड़ांध को पूर्ण रूप से दबा दिया जा सके। परंतु संसदीय लोकतंत्र की तुलना में प्रमुखीय पद्धति का लोकतंत्र जिसमें सामान्यत: मंत्रियों की पसंदगी समाज के सर्वोच्च बुद्धिशाली वर्ग में से की जाती है, वहां भ्रष्टाचार की संभावना की मात्रा अवश्य कम हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों का निर्वाचन उनके स्वयं के क्षेत्र में किये गए कार्य जो सबकी नजर के सामने होते हैं, उनको लक्ष्य में रखकर होता है। इसके अलावा हमने देखा ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों के कुकर्मों को ढंक ने का प्रयास होने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि ये मंत्री राजकीय पक्षों के साथ अक्सर संयुक्त नहीं होते। जिससे राजनैतिक नेता स्वयं भी इन मंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों की अधिक तटस्थता पूर्वक समालोचना कर सकते हैं। अमेरिका द्वारा अपनाई गई प्रमुखीय पद्धति में संसद और मंत्रिमंडल के विभाजन द्वारा एक दूसरे के ऊपर किए गए नियंत्रणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्र प्रमुख के स्वयं के पक्ष के संसद सदस्य भी राष्ट्रप्रमुख या मंत्रियों की जरा भी शह में आये बिना भ्रष्टाचार के किस्से उजागर करने में हिचकिचाते नहीं हैं।

फ्रांस में भी संसद से बाहर के मंत्रियों का चयन किया जाता है जहां कि अमेरिकन पद्धति की तरह मंत्रियों को संसद में उनकी बैठक से त्यागपत्र देना होता है। जर्मन संसद भी वहां के चांसलर (राष्ट्रप्रमुख) को बुन्डस्टेग (वहां की संसद) के बाहर से अपना मंत्रिमंडल बनाने की अनुमति देती है, जबकि वो खुद जर्मन संसद सदस्यों द्वारा बहुमत से चुनी जाती है। यहां तक कि जापान के वर्तमान संविधान के अनुसार ''डाईट'' (वहां की संसद) सर्वोच्च है पर प्रधानमंत्री को ये अधिकार है कि अगर वो चाहे तो लगभग आधे मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के बाहर से चुन सकता है।

जशवंत बी. मेहता

लोकपाल बिल

४२ साल तक टाले जाने के बाद सरकार जनता के प्रचंड दबाव में लोकपाल बिल अब पारित करने पर मजबूर हो गई है, जिससे लोकपाल एक स्वतंत्र अधिकारी के रूप में बिना किसी रुकावट प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासकीय अधिकारी या राजनेता के भ्रष्टाचार पर जांचकर दंडात्मक कार्रवाई कर सके। हालांकि ये अन्ना हजारे के अनशन को जनता का मिला हुआ समर्थन और प्रचंड उत्साह से संभव हुआ है तो भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकपाल की नियुक्ति भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए रामबाण दवा नहीं है। भ्रष्टाचार का खात्मा और उसे न्यूनतम करने के लिए एक ऐसी पद्धति लानी होगी, जिससे कि ऊपर के स्तर पर ईमानदार व योग्य व्यक्तियों की आसानी से नियुक्ति की जाए और विधानसभा द्वारा प्रमुख और उनके मंत्रिमंडल पर अंकुश और संतुलन की भूमिका निभाई जाए और इसके बावजूद भी अगर कोई अपराधी हो तो लोकपाल एक ऐसी व्यवस्था हो जिसके जरिए अपराधी को पकड़ कर दंड देने का आखरी विकल्प होना चाहिए।(जारी)

('वेस प्रेसीडेन्ट' लेख का संशोधित प्रारुप)